



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

माध्यमिक व माध्यमिक व्यावसायिक एवं प्रवेशिका
परीक्षा – वर्ष 2021
परीक्षा कार्यक्रम

समय— प्रातः 08.30 से 11.45 तक

वार/दिनांक	विषय (कोड)
गुरुवार, 06 मई, 2021	अंग्रेजी (02)
शुक्रवार, 07 मई, 2021	अन्तराल
शनिवार, 08 मई, 2021	अन्तराल
रविवार, 09 मई, 2021	रविवार अवकाश
सोमवार, 10 मई, 2021	अन्तराल
मंगलवार 11 मई, 2021	हिन्दी (01)
बुधवार, 12 मई, 2021	अन्तराल
गुरुवार 13 मई, 2021	अन्तराल
शुक्रवार, 14 मई, 2021	परशुराम जयंती/ईदुलफितर अवकाश
शनिवार, 15 मई, 2021	गणित (09)
रविवार, 16 मई, 2021	रविवार अवकाश
सोमवार, 17 मई, 2021	अन्तराल
मंगलवार, 18 मई, 2021	अन्तराल
बुधवार, 19 मई, 2021	विज्ञान (07)
गुरुवार 20 मई, 2021	अन्तराल
शुक्रवार, 21 मई, 2021	अन्तराल
शनिवार, 22 मई, 2021	सामाजिक विज्ञान (08)
रविवार, 23 मई, 2021	रविवार अवकाश
सोमवार, 24 मई, 2021	अन्तराल
मंगलवार, 25 मई, 2021	तृतीय भाषा— संस्कृत (71), उर्दू (72), गुजराती (73), सिन्धी (74), पंजाबी (75), संस्कृतम् (प्रथम प्रश्न पत्र) (95/1)
बुधवार, 26 मई, 2021	अन्तराल
गुरुवार, 27 मई, 2021	ऑटोमोटिव (101)/सौंदर्य एवं स्वास्थ्य (102)/सूचना प्रौद्योगिकी (IT) व सूचना प्रौद्योगिकी की समर्पित सेवाएँ (ITes)(104), फुटकर बिक्री (105)/टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटलिटी (106)/ निजी सुरक्षा (107)/परिधान निर्माण, वस्त्र और गृहसज्जा (108)/इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर (109)/कृषि (110)/प्लम्बर (111)/टेलीकॉम (112), संस्कृतम् (द्वितीय प्रश्न पत्र)(95/2)
नोट:— 1. उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम में कोई परिवर्तन होने पर समाचार पत्र के माध्यम से सूचना दी जावेगी। 2. परीक्षार्थी परीक्षा दिनांक एवं समय का पूरा ध्यान रखें। 3. दृष्टिहीन, सूर्यमुखी (Albino) तथा मायोपिया (Myopia) सेरीब्रल पाल्सी (Cerebral Palsy) पोलियो (Polio) लकवा/जन्मजात विकलांगता यथा LV & TB, HI, SI, MR, CP, ASD, MD, SLD (ऑटिज्म, मंदबुद्धि, लर्निंग डिस्ऑर्डर, प्रमस्तिष्कीय, पक्षघात, बहुविकलांगता, थैलिसिमिया, हिमोफिलिया) पर लागू होगी तथा मूक एवं बधिर (Deaf and Dumb) के परीक्षार्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर न्यूनतम 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर प्रश्न पत्र हल करने के लिए निर्धारित समय से एक घंटा अतिरिक्त समय तथा 75 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांगता पर श्रुतलेखक देय होगा। 4. अधिगम अक्षम परीक्षार्थियों के लिये Mild Cases में एक घंटा अतिरिक्त समय तथा Moderate एवं Severe Cases में श्रुतलेखक देय होगा। 5. परीक्षा भवन में बोर्ड द्वारा नियुक्त केन्द्राधीक्षक/वीक्षक/उड़नदस्ते के सदस्यों/निरीक्षकों आदि को परीक्षार्थी की तलाशी लेने तथा आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त करने का अधिकार होगा। इसमें किसी प्रकार की आपत्ति/मनाही/अन्य उत्पात दुराचरण माना जावेगा। 6. प्रश्न-पत्रों को कार्यक्रमानुसार ही देने के लिए बोर्ड बाध्य नहीं है। 7. परीक्षार्थी अपना नामांक उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अलावा और कहीं नहीं लिखें। 8. परीक्षा कक्ष में केलक्यूलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, डिजिटल डायरी अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण ले जाना निषेध है। 9. प्रश्न-पत्र पर निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी को अपना रोल नम्बर लिखना अनिवार्य है। 10. प्रश्न-पत्र हल करने के पश्चात् उत्तर पुस्तिका के अन्त में "समाप्त" शब्द लिखकर रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाईन से काटें।	

सचिव